राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1389/2011

सर्वेश्वर प्रसाद गौड

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, देवली, जिला टोंक।
4. श्री भूरा लाल नायक, यूडीसी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, देवली, जिला टोंक।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 03.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में यह तथ्य अंकित किये गये है कि अपीलार्थी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, देवली टोंक में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत रहा था। उस दौरान विद्यालय के स्टोर का चार्ज अपीलार्थी के पास था। विद्यालय में दिनांक 15.12.1988 को एक चोरी की घटना हुई, जिसमें विद्यालय का कुछ सामान चोरी होना बताया गया। जिसके सम्बन्ध में पुलिस में शिकायत करायी गई। कानसिंह जो कि जमादार के पद पर कार्यरत था, उसके घर से चोरी हुए सामान की बरामदगी हुई। अपीलार्थी का स्थानान्तरण हो जाने से अपीलार्थी द्वारा दिनांक 21.12.1991 को स्टोर के सामान व वस्तुओं का चार्ज भूरालाल नायक को संभला दिया गया था। कानसिंह के निवेदन पर शिकायत वापस ले ली गयी और विभागीय कार्यवाही की गयी। अपीलार्थी का स्थानान्तरण होने के पश्चात कानसिंह के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की गई और उक्त घटना में उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं मानी गयी। अपीलार्थी के विरूद्ध गलत रूप से कार्यवाही करते हुए उसे जिम्मेदार माना गया और अपीलार्थी से रकम की वसूली किये जाने के आदेश पारित किये गये। अपीलार्थी से गलत रूप से 18048.05/– रूपये की वसूली किये जाने के आदेश पारित किये गये। अपीलार्थी ने इसके विरूद्ध प्रत्यर्थी विभाग को एक अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे तर्क है कि उक्त प्रकरण में जिला कलेक्टर द्वारा हस्तक्षेप किये जाने पर जांच अधिकारी नियुक्त किया गया और उप प्रधानाचार्य को जांच अधिकारी नियुक्त किया। जिन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह माना कि अपीलार्थी से केवल मात्र 202.60/–रूपये वसूली योग्य है, उसके बाद भी अपीलार्थी को राशि 18048.05/– वसूल किये जाने का नोटिस दिनांक 12.11.1997 (अनुलग्नक–3) को सहायक निदेशक द्वारा दिया गया। इसके पश्चात वसुली हेतु पत्र दिनांक 09.11.1999 (अनुलग्नक–5) व पत्र दिनांक

08.03.2000 (अनुलग्नक–7) भी जारी किये गए। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपलार्थी के विरूद्ध जांच अधिकारी की रिपोर्ट के बावजूद भी वसूली की कार्यवाही किया जाना गलत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी कथन रहा है कि अपीलार्थी ने उक्त वसूली आदेश को अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क.ख.) संख्या–5, अजमेर के समक्ष दिवानी वाद प्रस्तुत कर राशि 18048.05/– वसूल किये जाने के सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री वादी के पक्ष में पारित किये जाने का निवेदन किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त वाद में विवादक संख्या 1 का निस्तारण करते हुए सिविल न्यायाधीश ने अपीलार्थी के विरूद्ध 18048.05/– रूपये की वसूली निकाले जाने को गलत माना है, परन्तु विवादक संख्या 2 में यह भी मत व्यक्त किया है कि मामला राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के क्षेत्राधिकार का होने से सिविल न्यायालय में चलाने योग्य नहीं है। इस प्रकार क्षेत्राधिकार के आधार पर अपीलार्थी का वाद खारिज किया गया।

2. अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील माननीय सिविल न्यायाधीश के समक्ष निर्णय एवं डिक्री हेतु दिनांक 25.02.2009 को प्रस्तुत की थी, जो अपर जिला न्यायाधीश क्रम–3 अजमेर द्वारा दिनांक 01.08.2011 को निर्णित की गयी, जिसमें अपीलार्थी की अपील क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज की गयी, जिसके उपरान्त अपीलार्थी ने इस अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अंकेक्षण विभाग की आडिट में रिकवरी के रूप में 18048/– की रिकवरी निकाली गयी है जो अपीलार्थी स्टोर इंचार्ज था, की लापरवाही से राज्य सरकार को नुकसान हुआ है। इस प्रकार उपरोक्त वसूली के विरूद्ध अपीलार्थी ने अति० सिविल न्यायाधीश कम सं0 05 अजमेर में एक वाद संख्या 186/01 एंव 364/2000 दायर किया, जो माननीय सिविल न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 25.02.2009 को खारिज कर दिया। इसके उपरान्त अपीलार्थी ने एक टीआई जिला एवं सेशन न्यायालय अजमेर में प्रस्तुत की, जो वाद संख्या 4/09 एंव 80/2009 था, जो माननीय अपर जिला न्यायाधीश कम संख्या 03 अजमेर द्वारा खारिज कर दी गयी। बी एफ आर में स्पष्ट निर्देश है कि राज्य सरकार को हुये नुकसान की वसूली सम्बंधित से ही की जानी चाहिये। इस प्रकार माननीय अधिकरण के समक्ष राज्य सरकार के नियमों को चुनौती नहीं दी जा सकती जोकि अधिकरण के अधिनियम 1976 के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण खारिज फरमायी जावे।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

5. अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन रहा है कि अपीलार्थी के विरूद्ध गबन का आरोप नहीं है। अपीलार्थी से जिस आधार पर वसूली किया जाना बताया है, उसके सम्बन्ध में उक्त विद्यालय के उप–प्रधानाचार्य द्वारा जांच की जा चुकी है

एवं जांच रिपोर्ट में अपीलार्थी से उक्त राशि 18048.05/– वसूली योग्य होना नहीं पाया गया है। उसके बावजूद भी अपीलार्थी से वसूली किया जाना उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी से जो वसूली की जा रही है, उसके सम्बन्ध में सिविल न्यायाधीश द्वारा विस्तारपूर्वक विवेचना कर साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी के पक्ष में यह विवादक विनिश्चिय किया है कि अपीलार्थी से वसूली योग्य नहीं है। ऐसे में सिविल न्यायालय द्वारा गुणावगुण में अपीलार्थी से राशि 18048.05/– वसूली योग्य होना नहीं माना है।

6. प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का कथन है कि सिविल न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया जा चुका है। अपीलार्थी से वसूली की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।

7. अपीलार्थी से जो राशि 18048.05/– की वसूली की जा रही है उसके सम्बन्ध में विभागीय जांच करवायी गयी थी, जिस जांच में अपीलार्थी से उक्त राशि वसूली योग्य होना नहीं पाया था। केवलमात्र 202.60/– रूपये ही अपीलार्थी से वसूली योग्य होना पाया गया था। यह भी तथ्य प्रकट हुआ है कि माननीय सिविल न्यायालय द्वारा तथ्यों का विश्लेषण साक्ष्य के आधार पर करने के पश्चात अपीलार्थी से कोई राशि वसूली योग्य नहीं होना अपने निर्णय के विवादक संख्या 1 के विनिश्चय में माना है। यह अलग बात है कि अपीलार्थी का वाद क्षेत्राधिकार के आधार पर खारिज हुआ था परन्तु फिर भी यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलार्थी से वसूली योग्य राशि के सम्बन्ध में माननीय सिविल न्यायाधीश द्वारा गुणावगुण पर विचार किया जा चुका है और उनके विरूद्ध वसूली योग्य राशि होना नहीं पाया है। ऐसे में प्रथम तो जांच अधिकारी द्वारा जांच करने के उपरान्त व उसके पश्चात सिविल न्यायालय द्वारा समस्त गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात अपीलार्थी से राशि वसूली योग्य होना नहीं पाया है। ऐसे में दो स्तरों पर अपीलार्थी से कोई राशि वसूली योग्य होना नहीं पाया गया है। इस आधार पर हम पाते हैं कि अपीलार्थी से वसूली की कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है।

8. परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है अपीलार्थी को वसूली योग्य जारी किये गये नोटिस दिनांक 12.07.1997 (अनुलग्नक–3), 09.11.1999 (अनुलग्नक–5) एवं 08.03.2000 (अनुलग्नक–7) अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी से कोई वसूली नहीं की जाए।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)